

In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion from Theatre Assistant with 5 years' experience for Matriculates and 7 years' for non-matriculates.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consist- ing of— Senior Physician/Senior Surgeon —Chairman Head of concerned Department —Member Chief Administrative Officer —Member	Not applicable.

[No. A-12018/62/89-RR(H)]  
RANDHIR SINGH, Under Secy.

सूचना और प्रसारण संघाध्यक्ष  
(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)  
शुद्धि पत्र  
नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1990

सा.का.नि. 761.—भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड (3) उपखंड (1) में पृष्ठ संख्या 1708 पर दिनांक 22 जुलाई, 1989 को प्रकाशित 5 जून, 1989 के सा.का.नि. सं. 509 के तहत भूतपूर्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कनिष्ठ संचालक (पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट) (संशोधन) नियम, 1989 में "भर्ती नियम 1988" के स्थान पर "भर्ती नियम 1988" पढ़ा जाए।

[सं. ए-12011/63/87-स्था.]  
राजेश्वर सेन, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS  
(Department of Petroleum and Natural Gas)  
CORRIGENDUM  
New Delhi, the 27th November, 1990

Notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum and Natural Gas as G.S.R. 509 dated the 5th June, 1989 in the Gazette of India, Part-II, Section (3), Sub-section (i) dated 22nd July, 1989, at page 1708, for "Recruitment Rules 1968", read "Recruitment Rules, 1988".

G.S.R. 761.—In the Ministry of Petroleum and Chemicals, Junior Investigation (Petroleum, Oil and Lubricant) Recruitment (Amendment) Rules, 1989, published in the

[No. A-12011/63/87-Estt.]  
RAJESHWAR SEN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1990

सा.का.नि. 762.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परामुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "ग" पर) भर्ती नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पर) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में पराम. 6, 2 और 3 और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जावेगा, अर्थात्:—

3274 GI/90—9

## शानुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	दर्जांतरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अनयन पर	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का विविल सेवा (वेधन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुभव है या नहीं	कायदा केन्द्रीय शीघ्रे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शायद सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. अथेष्ठ स्वायत्त अधिकारी	1* (1990) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अरालपत्रित अननुमन्त्रित	1400-40-1800- द.रो.-50-2300 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		शीघ्रे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं प्राप्त और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की उगा में लागू होंगी या नहीं			परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
		8			9	10
		लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		भर्ती की पद्धति : भर्ती शीघ्रे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जायगा	
		11			12	
		प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।			प्रोन्नति : आकाशवाणी जौग दूरदर्शन में 1200-2040 रु. के वेतनमान में ऐसे कनिष्ठ स्वागत अधिकारी जिन्होंने उम श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : दिल्ली में नैनात सूनात और प्रचारण मंत्रालय का ऐसा अधिकारी :- (1) जो नियमित आधार पर सृजन पद धारण किए हुए है, या (2) जिन्होंने 1200-2040 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है। दिपण : (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उनी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, संधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	
		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना			भर्ती करने में कितन परिस्थितियों में संव लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
		13			14	
		विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :			लागू नहीं होगा।	
		(1) उपमहानिदेशक (प्रसासन)/निदेशक (प्रसासन और वित्त) आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली—अध्यक्ष।				
		(2) सहायक महानिदेशक (सुरक्षा) आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली/सुरक्षा अधिकारी श्रेणी-1 आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली—सदस्य।				
		(3) अनुभाग अधिकारी, आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली—सदस्य।				

1	2	3	4	5	6	7	
2	कनिष्ठ स्वागत- अधिकारी	S* (1990) "कार्य भार के आधार पर परिवर्तन क्रिया का सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजकविश्व अनसुसम्बन्धी।	1200-30-1560- द.से.-40-2040 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	8		9		10		
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		
	11		12				

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों/दूरदर्शन केन्द्रों के पदों के लिए :—

- ऐसे अधिकारी जो राज्य में अवस्थित आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों और दूरदर्शन केन्द्रों में लिपिक श्रेणी-4 कनिष्ठ संवहारी के पद धारण किए हुए हैं और नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैं; या
- ऐसे अधिकारी जो उसी राज्य के भीतर आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों और दूरदर्शन केन्द्रों में लिपिक श्रेणी-II या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं और उस श्रेणी में नियमित आधार पर 8 वर्ष सेवा की है।

आकाशवाणी महाविभाग के पदों के लिए :

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय मन्त्रालय लिपिकीय सेवा काष्ठ में उच्च श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए हैं या
- ऐसा अधिकारी जो उगी समय राज्य के भीतर आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों/कार्यालयों में लिपिक श्रेणी-I का पद धारण किए हुए हैं;
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय मन्त्रालय लिपिकीय सेवा काष्ठ में निम्न श्रेणी लिपिक का पद और उसी राज्य के भीतर आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों/कार्यालयों में लिपिक श्रेणी-II का पद धारण किए हुए हैं और उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग से इस नियुक्ति में दी गई पदों धारित किसी अन्य काष्ठ बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।



अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन प्रथमा	अचयन पद	सत्रा में जाने हुए वर्ष का फायदा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रासंगिकता
1	2	3	4	5	6	7	
3. रखवाल	11 <sup>th</sup> (1990)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजकपत्रित अतनुसूचिक	1200-30-1560 ब. र. -40- 2040 य.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रासंगिकता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।				सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवर्द्धा की अवधि, यदि कोई हो विहित अ.सू. और शैक्षिक अर्हताएं प्रोक्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।			
8				9		10	
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।				प्रोत्ति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वृत्त में वे श्रेणियां जिससे प्रोत्ति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाय।			
11				12			

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

- आकाशवाणी केंद्रों/कार्यालयों/दूरदर्शन केंद्रों के पदों के लिए
- (i) ऐसे अधिकारी जो राज्य के भीतर अथवा स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों में लिपिक श्रेणी-I कम्प्लैट भंडारी के पद धारण किए हुए हैं और नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैं; या
  - (ii) ऐसे अधिकारी जो उसी राज्य में भीतर आकाशवाणी केंद्रों/कार्यालयों और दूरदर्शन केंद्रों में लिपिक श्रेणी-II या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं और जोर उस श्रेणी में नियमित आधार पर 8 वर्ष सेवा की है।
- आकाशवाणी महाविद्यालय के पदों के लिए
- (i) सूचना और प्रसारण संचालन के ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सचिवालय सेवा काडर में उच्च श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए हैं या
  - (ii) ऐसे अधिकारी जो उसी राज्य के भीतर आकाशवाणी केंद्रों/दूरदर्शन केंद्रों/कार्यालयों में लिपिक श्रेणी-I के पद धारण किए हुए हैं।
  - (iii) सूचना और प्रसारण संचालन का ऐसा अधिकारी जो केंद्रीय सेवा लिपिकीय सेवा काडर में निम्न श्रेणी लिपिक के पद और उसी राज्य के भीतर आकाशवाणी केंद्रों/दूरदर्शन केंद्रों/कार्यालयों में लिपिक श्रेणी-II के पद धारण किए हुए हैं और उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है।
- (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि की है, साधारणतया 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोत्तति समिति है तो उसकी संरचना

भरती करने में कितने पदों/पदियों में संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा।

13

14

लागू नहीं होता।

लागू नहीं होता।

[सं. 12019/2/90-बी (ए)]

कश्मीरी सात, अकर सचिव

टिप्पणी— मूल नियम जो आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम 1987 के नाम से जाना है मा. का. वि. सं. 759 तारीख 10 दिसम्बर, 1987 को अधिसूचित किया गया है।

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th November, 1990

G.S.R. —762 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1987 namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1987, for Serial No. 1, 2 and 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
** 1. Senior Reception Officer.	1* (1990)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1400-40-1800- EB-50-2300.	Non-Selection
*Subject to variation dependent on work-load.				
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion, or by deputation/transfer and percentage to be filled by various methods. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made.

11	12
Promotion failing which by Transfer on deputation.	<p>Promotion :            Junior Reception Officers in the pay scale of Rs. 1200--2040 in All India Radio and Doordarshan with 5 years' regular service in the grade.</p> <p>Transfer on deputation :            Officers of the Ministry of Information and Broadcasting posted in Delhi :--</p> <p>(i) holding analogous posts on a regular basis;            OR            (ii) with 5 years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 1200--2040 or equivalent.</p> <p>Note :--The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.</p>

## SCHEDULE

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) -- (i) Deputy Director General (Administration)/Director (Administration and Finance) Directorate General : All India Radio, New Delhi -- Chairman (ii) Assistant Director General (Security), Directorate General : All India Radio, New Delhi/Security Officer Grade-I, Directorate General : All India Radio, New Delhi -- Member (iii) Section Officer Directorate General : All India Radio, New Delhi -- Member	Not applicable.

1	2	3	4	5
2. Junior Reception Officer	8* (1990)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	Not applicable.

\*Subject to variation dependent on workload.

6	7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Whether of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, or by deputation/transfer and percentage to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from each promotion/deputation/transfer to be made.			
11				12
Transfer on Deputation	<p>Transfer on Deputation</p> <p>For posts in All India Radio Stations/Offices/Doordarshan Kendras:</p> <p>(i) Officers holding the post of Clerk Grade-I/Junior Storekeeper in All India Radio Stations/Offices and Doordarshan Kendras, located within the State, working on regular basis, OR</p> <p>(ii) Officers holding the post of Clerk Grade-II or equivalent in All India Radio Stations/Offices and Doordarshan Kendras within the same State, with 8 years' service in the grade on regular basis.</p> <p>For posts in the Directorate General, All India Radio:</p> <p>(i) Officers holding the post of Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service cadre off Ministry of Information and Broadcasting; OR</p> <p>(ii) Officers holding the post of Clerk Grade-I in All India Radio Stations/Doordarshan Kendras/Offices within the same State</p> <p>(iii) Officers holding the post of Lower Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service cadre of Ministry of Information Broadcasting and Clerk Grade-II of All India Radio Stations/Doordarshan Kendras/Offices, within the same State, with 8 years regular service in the grade.</p>			
12	13		14	
Note : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.	Not applicable		Not applicable.	

1	2	3	4	5
3. Caretaker	[1* (1990)]	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1200-30-1560- EB-40-2040	Not applicable.
*Subject to variation dependent on workload.				
6	7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
11		12		
Transfer on deputation.		Transfer on deputation :		
		For posts in All India Radio Stations/Offices/Doordarshan Kendras :		
		(i) Officers holding the post of Clerk Grade-I/Junior Storekeeper in All India Radio Stations/Offices and Doordarshan Kendras' located within the State, working on regular basis;		
		OR		
		(ii) Officers holding the post of Clerk Grade-II or equivalent in All India Radio Stations/Offices and Doordarshan Kendras within the same State, with 8 years' service in the grade on regular basis;		
		For posts in the Directorate General, All India Radio :		
		(i) Officers holding the post of Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service cadre of Ministry of Information and Broadcasting;		
		OR		
		(ii) Officers holding the post of Clerk Grade-I in All India Radio Stations/Doordarshan Kendras/Offices within the same State.		
		(iii) Officers holding the post of Lower Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service cadre of Ministry of Information and Broadcasting and Clerk Grade-II of All India Radio Stations/Doordarshan Kendras/Offices, within the same State with 8 years' Regular service in the grade.		



12	13	14
Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.	Not applicable.	Not applicable. "
<p>Note : Principal Rules called the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1987 were notified vide G.S.R. No. 759 dated the 10th September, 1987.</p> <p style="text-align: right;">[No. 12019/2/90—B(A)] KASHMIRI LAL, Under Secy.</p>		

**जय संसाधन संलाप**

(शू-जल सेवा)

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 1990

सा. का. नि. 783.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय शू-जल बोर्ड (समूह "ग" और समूह "ब" पद) शर्ती नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय शू-जल बोर्ड (समूह "ग" और समूह "ब" पद) शर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय शू-जल बोर्ड (समूह "ग" और समूह "ब" पद) शर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में:—

(i) स्तम्भ 8(क) के अंशोंम उभेष्ठ तकनीकी सहायक (जल विज्ञान) कार्यालय अधीक्षक, सहायक, प्राशुलिपिक श्रेणी-I, प्राशुलिपिक श्रेणी-II, उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक और मैकेनिक सेज के पदों के सामने "सही" प्रविष्टि जन : स्थापित की जाएगी;

(ii) कार्यालय अधीक्षक के पद के सामने की, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	8क
—	39 <sup>a</sup> (1990) "कार्यसार के अधीक्षक पद परिवर्तन किया जा सकता है।	माध्यम केन्द्रीय सेवा समूह "ग" भराजपत्रित अनुसन्धिवीय	1600-50- 2300-ब.रो.- 60-26808	चयन	लागू नहीं होता	नहीं

7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता